Copy right @ICAR-CIFRI

भा.कृ.अनु.प.– केंद्रीय अन्तर्स्थलीय मात्स्यिकी अनुसन्धान संस्थान बैरकपुर, कोलकाता – 700120

देशव्यापी कोरोना महामारी (COVID 19) के कारण लॉकडाउन के समय नदी, ज्वारनदमुख, मुहाने और नहर क्षेत्र पर निर्भरशील मछुआरों के लिए परामर्शी दिशानिर्देश

कोरोना संक्रमण हेतु देशव्यापी तालाबंदी के दौरान कई राज्यों में परिवहन सेवा सहित मात्स्यिकी और जलीय कृषि गतिविधियों में छूट दी गई है। चूंकि मछलियां जल्दी नष्ट होने लगती हैं इसलिए उन्हें नष्ट होने से पहले ही बाजारों में उनको ले जाना और उनकी बिक्री को अपरिहार्य सेवाओं के तहत रखा गया है। कोरोना बीमारी के संक्रमण और प्रसार को रोकने के लिए मछुआरों को सरकार द्वारा सुझाये गये सुरक्षा उपायों का पालन करना अनिवार्य है। सरल उपायों में एक दूसरे के बीच कम से कम 3 से 4 ft की दुरी बनाये रखना, साबुन से बार–बार हाथ धोकर व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना, चेहरे पर मास्क पहनना, सुरक्षात्मक कपड़े और जाल की नियमित सफाई महामारी के प्रसार को रोकने में सक्षम हो सकती है।

मछुआरों और मछुआरा सहकारी समितियों के लिए परामर्श

मछली पकड़ने, जाल संचालन के समय और मछलियों की लैंडिंग तक मछुआरों को व्यक्तिगत स्वच्छता और सामाजिक दूरी जैसे नियमों का पालन करना चाहिए।

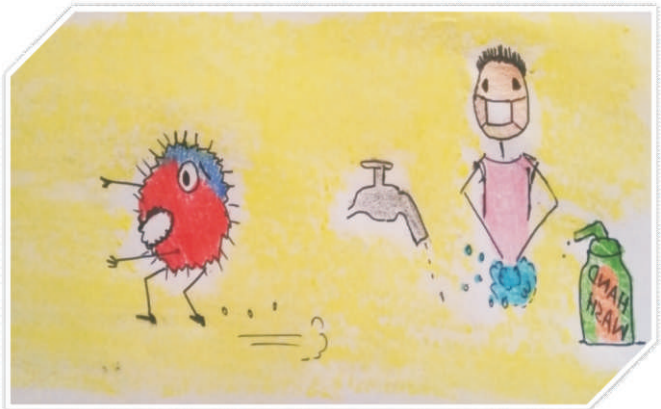

मछली पकड़ने की गतिविधियों में शामिल मछुआरों को अपने चेहरे पर हमेशा मास्क का उपयोग करना चाहिए और नियमित अंतराल पर साबुन से बार–बार हाथ धोना चाहिए।

अंतर्स्थलीय क्षेत्र में मछली प्रग्रहण समूह में की जाती है। इसलिए, हस्तचालित नाव और जाल के संचालन में प्रत्येक मछुआरो के बीच कम से कम 3–4 ft की दूरी बनाए रखना चाहिए। मछली पकड़ने के लिए नाव का संचालन केवल दो व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए। किसी भी दो नावों के बीच 3 मीटर से अधिक की दूरी बनाए रखना आवश्यक है।

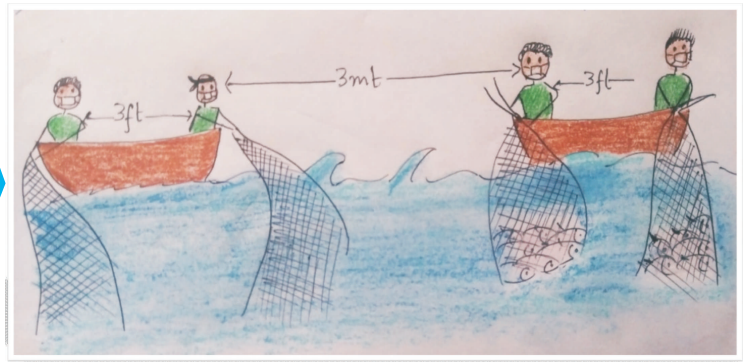

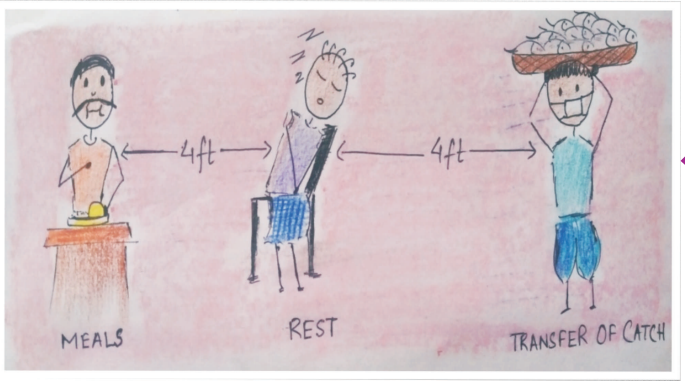

आराम करते समय, भोजन लेने के समय और लैंडिंग सेंटर में मछली के हस्तांतरण के दौरान एक दूसरे से 3–4 ft की दूरी बनाए रखना चाहिए।

यदि संभव हो तो, प्रत्येक कार्य के बाद जालों, नावों और अन्य मछली पकड़ने के उपकरण की सफाई या उन्हें कीटाणुरहित किया जा सकता है। साबुन के घोल से धोने के बाद उन्हें 5 मिनट के लिए 1प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइट के घोल में डुबोकर रखना चाहिए, उसके बाद उन्हें धूप में सुखाया जा सकता है। जालों को घरेलु तौर पर निर्मित नीम के घोल में भिगो कर धूप में सुखाया जा सकता है। किसी भी परिस्थिति में भीड़ इकठ्ठा होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। समय–समय पर उपकरणों को कीटाणुरहित करना चाहिए।

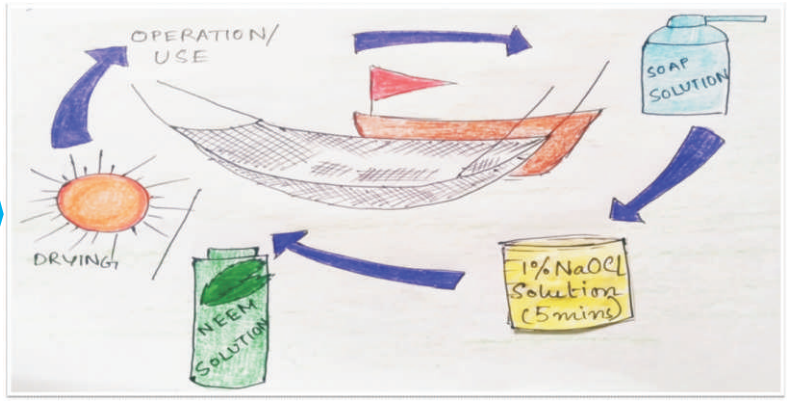

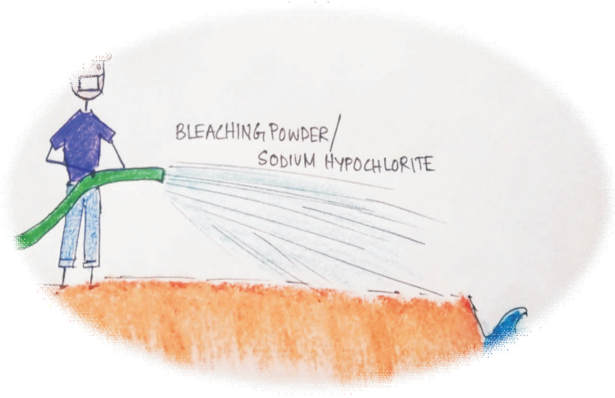

मछलियों के लैंडिंग केंद्र को स्वच्छ और कीटाणुरहित करने हेतु नियमित अंतराल पर ब्लीचिंग पाउडर, सोडियम हाइपोक्लोराइट या अन्य किसी प्रक्षालक के साथ साफ किया जा सकता है ।

मछलियों की नीलामी के स्थानों को एक नियमित अवधि के लिए ही खोला जा सकता है और नीलामी केंद्र में नीलामी करने वालों के प्रवेश को मछुआरा समाजों द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में कोविद 19 के सुरक्षा दिशानिर्देशो का पालन करना अति आवश्यक है ।

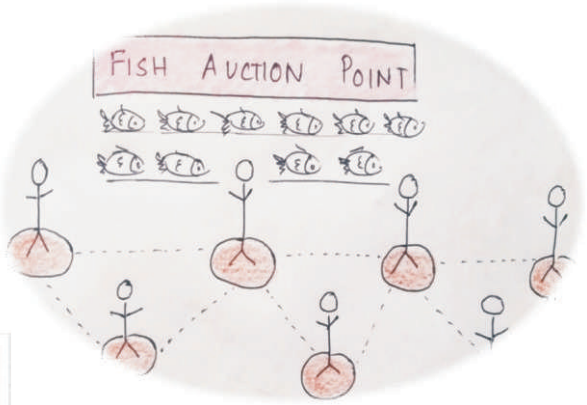

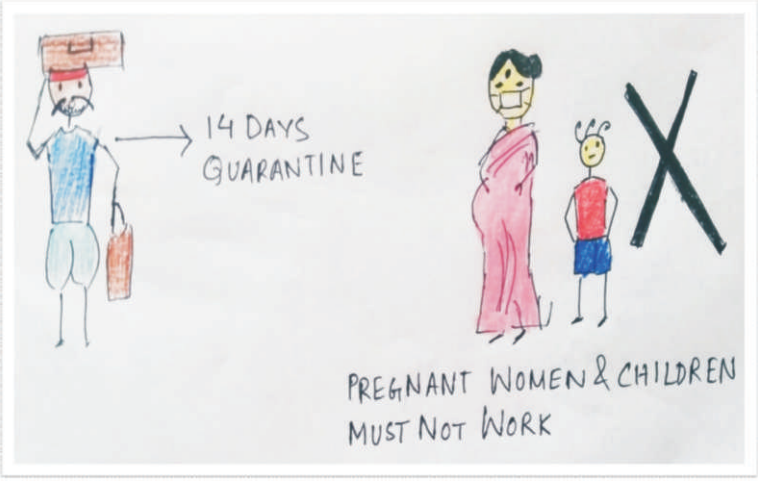

मछुआरों के परिवार के जो सदस्य नौकरी करने के लिए बाहर गए हुए है, अगर लॉकडाउन अवधि में वापस आते हैं तो उन्हें 14 दिनों के लिए संगरोध/ क्वारंटाइन में अपने घर पर रहने के लिए कहा जाना चाहिए। बच्चों और गर्भवती महिलाओं को उनके आस–पास जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए ।

For further details, contact :
Director, ICAR-CIFRI
Barrackpore - 700120